

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District:** STATE VIG. BUREAU PS: SVB Hisar **Year:** 2014 **FIR No:** 17 **Date:** 08.05.2014

2. **Act(s):** **Section(s)**
(i) IPC 420,467,468,471,406,120 B
(ii) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 7/18/13(1)
(iii)
(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day:** Thursday **Date From:** 08.05.2014 **Date To:** : 08.05.2014
Time Period: **Time From:** **Time To:**
(b) **Information received at P.S:** **Date:** : 08.05.2014 **Time:** 12.20 hrs
(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 7 **Time:** 12.20 hrs

4. **Type of Information:** WRITTEN

5. **Place of Occurrence:**

(a) **Direction and Distance from P.S.:** North 0 **Beat No.:** 01
(b) **Address:** Area of Distt.HSR
(c) **In case, Outside the limit of the Police Station:**
Name of P.S: **District:**

6. **Complainant/Informant:**

(a) **Name:** . Bhupender Singh Inspector SVB HSR
(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN
(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**
(d) **Occupation:**
(e) **Address:**
(f)

(g) **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

7. **Tara Chand Xen HVPNL Hisar**

8. **Reason for delay in reporting by the complainant/informant:**

9. **Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):**

Sl.No.	Property Type (Description)	Est. Value (Rs.)	Status
--------	-----------------------------	------------------	--------

(i)
(ii)
(iii)

10. **Total value of property stolen:**

11. **Inquest Report/U.D Case No., if any**

12. **F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):**

श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच न० 2दिनांक 17.09.13 सिरसा विरुद्ध न०1. तारा चन्द कार्याकारी

अभियन्ता सिविल एच.वी.पी.एन.एल हिसार 2. कृष्ण कुमार एस.डी.ओ. सिविल एच.वी.पी.एन.एल हिसार

3. अमूल गवरानी,निदेशक, प्रबन्धक जी.आई.टी. पावर लिमिटेड चैन्नई 4.एस.एस. समादार निर्देशक

जी.ई.टी.पावर लिमिटेड चैन्नई 5. रमेश कुमार ए.जी.एम. जी.आई.टी. पावर लिमिटेड 6. पी.के. श्रीवास्तव

वाईस प्रेजिडेंट जी.ई.टी. पावर लिमिटेड जो यह जांच मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग यादि क्रामंक ऐ./आई.सी./47/28/13-3 चौकसी II दिनांक 13.9.13 की अनुपालना मे महानिर्देशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के कार्यालय के पत्र क्रमांक ऐ/9-सी./23589/आई-3 एस.वी.बी. दिनांक 17.9.13 के अनुसार रवि गुप्ता पार्टनर टैलमास कम्पनी हिसार की शिकायत पर दर्ज रजिस्ट्रर की गई थी । जो जांच हेतू कार्यालय एस.पी. एस.वी.बी. हिसार मे प्राप्त हुई थी जिसमे आरोप था कि शिकायतकर्ता रवि गुप्ता की कम्पनी पार्टनर टैलमास कम्पनी हिसार को जी.ई.टी. पावर कम्पनी चैन्नई ने लगभग 13 करोड का ठेका एच.वी.पी.एन.एल . से 400 के.वी. सब स्टेशन का सिविल कार्य करने का ठेका साल 2009 मे लिया था । उसके बाद जी.ई.टी. कम्पनी चैन्नई ने उक्त कार्य करने का ठेका 11 करोड 97 लाख मे प्रतिवादी की कम्पनी टैलमास को दिया और कार्य को रवि गुप्ता ने शुरु करवा दिया और हर माह बिल तैयार करके जी.ई.टी. पावर कम्पनी के ऐ.जी.एम. रमेश चन्द्र से जांच करवा लेता था । जब भी बिल एच.वी.पी.एन.एल को देता था तो कार्याकारी अभिन्यता तारा चन्द एस.डी.ओ. कृष्ण कुमार ने जबसे इस काम को देखना शुरु किया तो बिल पास करने के बदले 1 प्रतिशत कमिशन मांगने थे प्रतिवादी ने करीब 1.50-1.50 लाख तो दे दिये फिर हर बिल के साथ कमिशन मांगते थे तथा रमेश चन्द्र ए.जी.एम., जी.ई.टी. पावर कम्पनी को भी शिकायतकर्ता से हर बिल के 20 हजार रुपये लिये । अगर नही देता तो बिल तसदीक नही करते थे जिस बिल मे कमिशन नही देते थे तो उस बिल की राशि मे से बिल वजय कुछ राशि रोक ली जाती थी तथा कमिशन देने पर रोकी हुई राशि रिलिज कर दी जाती थी । तथा परिवादी ने जी.ई.टी. कम्पनी से लिया गया काम पुरा कर दिया गया और 18 रनिंग बिल तैयार करके एच.वी.पी.एन.एल से तसदीक करवाकर जी.ई.टी. ने 18 बिल की राशि शिकायतकर्ता को 8 करोड 83 लाख बजरिया चैक वा बैंक के द्वारा दे दी मगर 19 व 20 बिल की राशि नही दी गई जबकि कार्य खत्म होने पर बाकि राशि एच.वी.पी.एन.एल से खुद ले ली गई उक्त राशि मांगने पर झगडे पर उतारु हो जाते । कम्पनी द्वारा वर्क आर्डर का उल्लघन किया है । जो उपरोक्त जांच के आरोपी की पुर्ण पडताल नि० भुपेन्द्र शर्मा रा.चौ.ब्यूरो फतेहबाद द्वारा एस. पी. एस.वी.बी. हिसार को देखरेख मे अमल मे लाई गई । उपरोक्त सभी प्रतिवादीयो ने अपने पद का दुरुपयोग करके सरकारी कार्य करने के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत लेनी पाई गई है इसी प्रकार जी.ई.टी. कम्पनी ने दिनांक 30.8.12 को भिन्न भिन्न तिथियो के 5 चैक 10-10 लाख रुपये के टैलमोस कम्पनी को दिये थे । 3 चैक पास होकर कम्पनी के खाते मे आ गये । मगर 2 चैक 10-10 लाख रुपये के कैस नही हुये क्योकि खाते मे राशि नही थी जो कम्पनी यह चैक जानबुझकर गुमराह करने की नियत से दिये गये । इस प्रकार जी.ई.टी. कम्पनी से टैलमोस कम्पनी करवाये गये कार्य की राशि के रिकार्ड का अवलोकन किया गया जी.ई.टी. कम्पनी ने 9 करोड 83 लाख 34 हजार 672 रुपये चैक द्वारा अदा की है तथा 327479 रुपये भिन्न भिन्न तिथियो मे देने पाये गये है कुल 98662156रुपये टैलमोस कम्पनी को देने पाये गये तथा 9315000 रुपये रोकी हुई राशि बताई गई है इस राशि मे से 4977500+4997536=9975036 रुपये राशि का सामान जी.ई.टी. कम्पनी को बाजार से खरीद कर दिया गया था जो उक्त सामान क कार्य वर्क आर्डर मे नही था तथा यह राशि वर्क आर्डर के प्रावधान से अलग था इसी लिये टैलमोस कम्पनी द्वारा

प्राप्त

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation

OR

(ii) Directed (Name of the I.O.): Vijay Pal

No DSP/SVB

Rank: DSP

to take up the investigation, OR

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S.(name):

On point of jurisdiction:

District:

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression
Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name Anil Kumar
Rank INSP No H/161